न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री लाखनसिंह गुर्जर आर ए एस

राजस्व वाद संख्या 01/98/2019

वउनवान

1. होती पुत्र हीरा जाति जाटव निवासी भोजपुरा तहसील कठूमर
2. शिब्बा पुत्र हीरा जाति जाटव निवासी भोजपुरा तहसील कठूमर
3. चौथी पुत्र हीरा जाति जाटव निवासी भोजपुरा तहसील कठूमर
4. भीमसिह पुत्र हीरा जाति जाटव निवासी भोजपुरा तहसील कठूमर
5. निहालसिंह पुत्र हीरा जाति जाटव निवासी भोजपुरा तहसील कठूमर
6. सिया पुत्री हीरा पत्नी गोकुलराम जाति जाटव निवासी भोजपुरा हालवासी ग्राम भनोखर तहसील कठूमर
7. वती पुत्री हीरा पत्नी शोभाराम जाति जाटव निवासी भोजपुरा हालवासी भनोखर तहसील कठूमर
8. मनीष कुमार पुत्र अमरसिह जाति जाटव निवासी भोजपुरा तह0 कठूमर
9. ममता पत्नी अमरहि जाति जाटव निवासी भोजपुरा तहसील कठूमर

वादीगण

बनाम

1. बुस्सू पुत्र कन्ना जाति कोली निवासी कुम्हेर तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर
2. प्रभूदयाल पुत्र परसादी जाति हैबासी ब्राहमण निवासी भोजपुरा
3. राधेश्याम पुत्र परसादी जाति हैबासी ब्राहमण निवासी भोजपुरा
4. मुकेश उर्फ मुक्कन पुत्र प्रभूदयाल जाति हैबासी ब्राहमण निवासी भोजपुरा तहसील कठूमर
5. राजेश पुत्र ठाकुरलाल जाति हैबासी ब्राहमण निवासी भोजपुरा
6. औंकन पुत्र राधेश्याम जाति हैबासी ब्राहमण निवासी भोजपुर
7. राजस्थन सरकार जरिये जिला कलक्टर अलवर
8. उप पंजीयक कठूमर तहसील कठूमर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.05.16 17:44:24 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादीगण

दावा घोषणात्मक व हुक्मइन्तनाई दवामी

उपस्थित

श्री राधाबल्लभ शर्मा

श्री चन्द्र शेखर इन्दोरिया

श्री थानसिह कर्दम एडवोकेटस– अधिवक्ता वादीगण

निर्णय

दिनांक 21/7/2023

वादीगण द्वारा प्रस्तुत दावा घोषणात्मक व हुक्मइन्तनाई दवामी के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नम्बर 354 रकवा 0.56 हे0 399 रकवा 0.47 हे. ग्राम भोजपुरा तहसील कठूमर में स्थित है। वादीगण ने दावा के पैरा सं0 3 में परिवार का सजरा अंकित किया है। हीरा व उसका पुत्र अमरसिंह फौत हो चुका है जिसके वारिस वादीगण हीरा के पुत्र पुत्री पोत्र व पोत्र बधू है। विवादित आराजी हीरा की कब्जे काश्त खातेदारी की आरजी है जो ता जिन्दगी मौके पर काविज रहकर काश्श्त करते रहे उनके फौत हो जाने पर उक्त विवादित आराजी वादीगण का विरासत म मिली कब्जे काश्त खातेदारी की आरी है जिस आराजी पर वादीगण हीरालाल के फात हो जाने के वाद से ही मौके पर लगातार कब्जे काश्त में चले आ रहे है। आज भी वादीगण का विवादित आराजी पर कब्जा काश्त है। विवादित आराजी वावत वयनामा वादीगण ने दिनांक 02.007.1987 को प्रतिवादी सं0 1 के हक में तहरीर कर उप पंजीयक कठूमर के यहां पंजीवद्व नहीं करवाया ना वयनामा तहरीर करने वावत हीरा ने स्टाम्प वैण्डर से स्टाम्प खरीदे तथाकथित वयनामा पर वादीगण के पिता हीरा के अंगूठा निशानी नहीं है बल्कि किसी अन्य व्यक्ति के अंगूठा निशानी है अंगूठा निशानी भी तथाकथित वयनामा पर समान न होकर अलग अलग है जो आपस में मेल नहीं खाते कि जिन अंगूठा निशानी पर हीरा लिखी गयी है वो फर्जी है। केता वुस्सू पुत्र कन्ना कोली निवासी कुम्हेर वयनामा में अंति है जवकि केता बुस्सू पर कन्ना जाति कोली नाम का कोई व्यक्ति कुम्हेर में नहीं था और ना अव है और ना कभी रहा तथाकथित वयनामा दिनांक 02. 06.1987 प्रतिवादी सं0 8 उप पंजीयक द्वारा पंजीवद्व भी नहीं है ना पंजीवद्व की इवारत पर उप पंजीयक का नाम व हस्ताक्षर है। वादीगण ने विवादित आराजी के वयनामा दिनांक 02. 06.1987 वावत प्रतिवादी सं0 1 से प्रतिफल स्वरूप ना कभी पैसे लिये और ना उसे विवादित अराजी पर मौके पर कब्जा संभलाया। वुस्सू नाम के व्यक्ति ने विवादित आराजी पर कभी काविज रहकर काश्त नहीं की। ग्राम पंचायत ने मौका कब्जा की जांच किये विना ही वादीगण को विना वुलाये विना सुनाये ही वयनामा दिनांक 02.06.1987 के आधार पर प्रतिवादी सं0 1 के नाम खातेदारी का इन्तकाल [illegible] मौका स्वीकार फरमा दिया। जो इन्तकाल वइन्तकाल के आधार पर प्रति[illegible] सं0 [illegible] नाम खातेदारी के इन्द्राजात प्रारम्भ से ही शून्य नल एण्ड [illegible] व प्रभावहीन, वेअस[illegible]काविज पाबन्दी है। वादीगण अनु0 जाति में देहात के रहने वाले चमार जाति के अशिक्षित व्यक्ति है। गलत इन्द्राज की जानकारी होने पर विवादित आराजी वाव वयनामा व राज[illegible] रेकार्ड की नकलें लेकर प्रतिवादी सं0 8–9 से वयनामा शून्य करार दिलाने को कहा तो उन्होंने इन्कार कर दिया। अतः वादीगण ने वयनामा दिनांक 02.06.1987 वो इसके आधार पर खातेदारी के इन्द्रजात को शून्य, नल एण्ड बॉयड करार दिलाने व प्रतिवादी सं0 2 ला0 6 को पाबन्द कराने व वाद वादीगण मुताविक अनुतोष डिकी किये जाने का निवेदन किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.05.16 17:44:24 IST
Reason: SelfAttested

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलवी के सम्मन जरिये रजिस्टर्ड डाक भिजवाये गये। प्रतिवादीगण वावजूद रजिस्टर्ड डाक तामील उपस्थित नहीं आये जिनके विरूद्व दिनांक 27.10.2022 को एकपक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गयी।

वादीगण ने अपने दावा के समर्थन में जमाबन्दी सवत् 2042 ला0 2045 वाके ग्राम भोजपुरा प्रदर्श–1 वयनामा दिनांक 02.06.2007 प्रदर्श–2, नामान्तकरण संख्या 117 दिनांक 26.06.1987 प्रदर्श–3, हाल जमाबन्दी संवत् 2073 ला0 76 वाके ग्राम भोजपुरा प्रदर्श–4 भेजी गई डाक रसीद दिनांक 13.06.2019 प्रदर्श–5 व प्रदर्श–6 एंव नोटिस धारा 80 जा0दी0 प्रदर्श–7 पेश किये है। जो पत्रावली के साथ संलग्न है।

वादीगण ने अपने दावा के समर्थन में गवाह वादी होती पी डब्ल्यू 1, गवाह भीमसिंह पी डब्ल्यू 2, गवाह जगदीश पी डब्ल्यू 3 गवाह महावीर पी डब्ल्यू 4 के वयान लेखवद्व कराये है।

हमने विद्वान अधिवक्ता वादीगण की एकपक्षिय वहस सुनी तथा पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रेकार्ड सत्यप्रतिलिपी वयानामा व गवाहान के वयानात का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता वादीगण ने अपनी वहस के दौरान मुख्य रूप से अपने दावा के तथ्यों को दोहराते हुये दावा वादीगण मुताविक अनुतोष डिक्री किये जाने का निवेदन किया है। अधिवक्ता वादीगण ने अपने कथनों की पुष्टि में आर आर डी 1999 पेज 30, आर आर डी 2007 पेज 815 व आर आर डी 1987 पेज 280 पेश की है। प्रदर्श–1 जमाबन्दी में विवादित आराजी खसरा नम्बर 354 व 399 वाके ग्राम भोजपुरा हीरा पुत्र सांवलिया कौम चमार सा0 देह दर्ज है। वादीगण ने सत्यप्रतिलिपी वयनामा दिनांक 02.06.1987 प्रदर्श– 2 पेश किया है जिसके अनुसार हीरा ने प्रतिवादी सं0 1 को खसरा नम्बर 399, 354 वेचान किया है। जमाबन्दी प्रदर्श–4 में विवादित आराजी प्रतिवादी सं0 1 की खातेदारी में दर्ज है। वादीगण का कथन है कि विवादित आराजी अनु0 जाति के व्यक्ति के नाम दर्ज है। प्रतिवादी सं0 2 ला0 6 सवर्ण जाति के है वादीगण स्वंय अनु0 जाति के है। विवादित आराजी वावत प्रतिवादी सं0 2 ला0 6 को किसी तरह के अधिकार पैदा नहीं है। जमाबन्दी व वयनामा के अनुसार प्रतिवादी सं0 1 कुम्हेर जिला भरतपुर का मूल निवासी है। वादीगण ने नगरपालिका कुम्हेर के बार्ड सं0 6 व 24 के पार्षद का प्रमाण पत्र पेश किया है जिसमें बताया है कि बुस्सू पुत्र कन्ना जाति कोली नाम का कोई व्यक्ति कोली मोहल्ला कुम्हेर में नहीं रहता है और ना पहले कभी रहा। इसके अलावा बार्ड सं0 24 के निवासियों की एक तहरीर पत्रावली पर वादीगण द्वारा पेश की गयी है जिसमें वहां के वासियों ने वुस्सू पुत्र कन्ना कोली नाम का व्यक्ति बार्ड सं0 24 कस्वा कुम्हेर में नहीं रहता है और ना रहा है और ना कभी देखा और ना सुना। पी डब्ल्यू 1 स्वंय वादी है तथा पी डब्ल्यू 2 से पी डब्ल्यू 4 ग्राम भोजपुरा के निवासी है जो स्वतंत्र गवाह हैं जिन्होंने अपने वयानों में कथन किया कि वुस्सू पुत्र कन्ना कोली निवासी कुम्हेर नाम का कोई व्यक्ति हमारे गांव में नही रहा और ना अव है झगडे वाली जमीन पर पहले वादीगण के पिता हीरा को व अव वादीगण का कब्जा देखते चले आ रहे

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.08.16 17:44:24 IST
Reason: SelfAttested

है। जहां तक रजिस्टर्ड वयनामा का प्रश्न है जव वुस्सू कोली नाम का व्यक्ति विवादित आराजी पर कभी काविज नहीं रहा ना कभी भोजपुरा में रहा ओर ना कुम्हेर में रहता है तो विवादित आराजी पर वुस्सू का कब्जा प्रतीत नहीं होता है। विवादित आराजी पहले वादीगण के बालिद हीरा की खातेदारी में रही है उसके मरने के वाद विवादित आराजी पर वादीगण का कब्जा सावित है। जिस कारण प्रतिवादी सं0 1 के हक में रजिस्टर्ड वयनामा दिनांक 02.06.1987 प्रारम्भ से ही शून्य नल एण्ड बॉयड प्रतीत होता है। अतः आराजी खसरा नम्बर 354, 399 वाके ग्राम भोजपुरा पर वादीगण का कब्जा होने व रजिस्टर्ड वयनामा प्रारम्भ से ही शून्य होने से वयनामा व इसके आधार पर दर्ज व स्वीकार इन्तकाल संख्या 117 वाके ग्राम भोजपुरा नल एण्ड बॉयड, शून्य, असर हीन व प्रभावहीन करार दिये जाने योग्य पाये जाते है। वादीगण का दावा विवादित आराजी वावत वादीगण की खातेदारी में घोषित कराने व वयनामा शून्य घोषित कराने का है। ऐसे वयनामों को शून्य करार देने का अदालत हाजा को अधिकार प्राप्त है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत कानूनी नजीर प्रकरण पर पूरी तरह से चस्पा होती है। अतः वादीगण विवादित आराजी को अपनी खातेदारी में घोषित कराने के अधिकारी पाये जाते है अतः दावा वादीगण सावित होने से डिकी किये जाने योग्य पाया जाता है।

आदेश

अतः दावा वादीगण घोषणात्मक व हुक्मइन्तनाई सावित होने से डिकी किया जाकर वादीगण को आराजी खसरा नम्बर 354 रकवा 0.56 हे. 399 रकवा 0.47 हे. वाके ग्राम भोजपुरा तहसील कठूमर का वादी संख्या 1 ला0 7 को 7/8 हिस्से का व वादी संख्या 8–9 को 1/8 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा राजस्व रेकार्ड से प्रतिवादी सं0 1 के नाम के इन्द्राज को कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जाता है कि वो उक्त आराजी में वादीगण के कब्जे काश्त में किसी तरह की रूकावट व मजाहमत पैदा ना करें। जवरन वेदखल ना करे। तदनुसार पर्चा डिकी जारी हो पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम होकर वाद तकमील दाखिल दफ्तार हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.05.16 17:44:24 IST
Reason: SelfAttested

... गुर्जर

... ड अ... री कठूमर (अलवर)

आज दिनांक 21/7/23 को यह नि... मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

लाखनसिह गुर्जर

उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पर्चा डिकी

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री लाखनसिंह गुर्जर आर ए एस

राजस्व वाद संख्या 01 / 98 / 2019

वउनवान

1. होती पुत्र हीरा जाति जाटव निवासी भोजपुरा तहसील कठूमर
2. शिब्बा पुत्र हीरा जाति जाटव निवासी भोजपुरा तहसील कठूमर
3. चौथी पुत्र हीरा जाति जाटव निवासी भोजपुरा तहसील कठूमर
4. भीमसिह पुत्र हीरा जाति जाटव निवासी भोजपुरा तहसील कठूमर
5. निहालसिंह पुत्र हीरा जाति जाटव निवासी भोजपुरा तहसील कठूमर
6. सिया पुत्री हीरा पत्नी गोकुलराम जाति जाटव निवासी भोजपुरा हालवासी ग्राम भनोखर तहसील कठूमर
7. वती पुत्री हीरा पत्नी शोभाराम जाति जाटव निवासी भोजपुरा हालवासी भनोखर तहसील कठूमर
8. मनीष कुमार पुत्र अमरसिह जाति जाटव निवासी भोजपुरा तह0 कठूमर
9. ममता पत्नी अमरहि जाति जाटव निवासी भोजपुरा तहसील कठूमर

डिकीदारान

बनाम

1. बुस्सू पुत्र कन्ना जाति कोली निवासी कुम्हेर तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर
2. प्रभूदयाल पुत्र परसादी जाति हैबासी ब्राहमण निवासी भोजपुरा
3. राधेश्याम पुत्र परसादी जाति हैबासी ब्राहमण निवासी भोजपुरा
4. मुकेश उर्फ मुक्कन पुत्र प्रभूदयाल जाति हैबासी ब्राहमण निवासी भोजपुरा तहसील कठूमर
5. राजेश पुत्र ठाकुरलाल जाति हैबासी ब्राहमण निवासी भोजपुरा
6. औंकन पुत्र राधेश्याम जाति हैबासी ब्राहमण निवासी भोजपुरा
7. राजस्थन सरकार जरिये जिला कलक्टर
8. उप पंजीयक कठूमर तहसील कठूमर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.05.16 17:44:24 IST
Reason: SelfAttested

मदयूनान

दावा घोषणात्मक व हुक्मइन्तनाई दवामी

अतः दावा वादीगण घोषणात्मक व हुक्मइन्तनाई सावित होने से डिकी किया जाकर वादीगण को आराजी खसरा नम्बर 354 रकवा 0.56 हे. 399 रकवा 0.47 हे. वाके ग्राम भोजपुरा तहसील कठूमर का वादी संख्या 1 ला0 7 को 7/8 हिस्से का व वादी संख्या 8–9 को 1/8 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा राजस्व रेकार्ड से

प्रतिवादी सं0 1 के नाम के इन्द्राज को कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जाता है कि वो उक्त आराजी में वादीगण के कब्जे काश्त में किसी तरह की रूकावट व मजाहमत पैदा ना करें। जवरन वेदखल ना करे।

आज दिनांक 21/7/23 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय सील से जारी की गई।

लाखनसिंह गुर्जर
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.05.16 17:44:24 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
21/7/23	वकील वादी उपस्थित। अतः दावा वादी साबित होने के कारण डिक्री योग्य पाया जाता है। दावा वादी डिक्री किया जाकर निर्णय पृथक से लिखाया जाकर हस्ताक्षर किया गया तदानुसार पर्चा डिक्री जारी होकर पत्रावली मौसिल रिकार्ड होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील जिला दफ्तर भेजा जावे सुनाया SDM

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.05.16 17:44:24 IST
Reason: SelfAttested